

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ (अ) धरोहर राशि रूपये 2 करोड़ तक की निविदा राशि हेतु निविदा राशि का 10 प्रतिशत, रूपये 2 करोड़ से अधिक की निविदा राशि हेतु रूपये 20 लाख व रूपये 2 करोड़ से ऊपर की अवशेष अधिक निविदा राशि का 1 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट (ब) स्वयं का/फर्म होने पर भागीदारों एवं फर्म का/कम्पनी होने पर निदेशकों एवं उनके परिवार के सदस्यों तथा कम्पनी के नाम पर विभागीय बकाया नहीं होने का रायपत्र (सी) प्रमाणित) (द) निविदादाता, जिनके नाम से विभाग में रायल्टी वसूली के ठेके या खनन पट्टे प्रभावशील हो तो सम्बन्धित कार्यालय का बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र) पेश करेगा। (स) निविदादाता के विभाग में पंजीकृत होने के सम्बन्ध में पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्य प्रति प्रस्तुत करेगा। (द) निविदादाता भागीदारी फर्म/कम्पनी/सोसायटी होने पर पार्टनरशिप डीड, मुख्यालय नामा/कम्पनी रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

उक्त निविदा विज्ञापित विभागीय वेबसाइट www.dmg-raj/notices-hindi-hmt पर भी उपलब्ध है।

अधीक्षण खनिज अभियन्ता,

जयपुर वृत्त जयपुर।